राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड कोटा

क्रमाक :– 359 दिनांक :– 10-7-2025

जन सम्पर्क अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर (राज.)।

विषय :– समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने बाबत्।

संदर्भ :– लाखेरी आवासीय योजना 2023 के आवास आवंटन का लॉटरी कार्यक्रम

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि लाखेरी आवासीय योजना में उपलब्ध योग्य आवेदको के आवास आवंटन की लॉटरी दिनांक 22.07.2025 को जिला आवंटन समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। अतः पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों में करवाने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

आवासीय अभियन्ता
रा.आ.म. खण्ड कोटा

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–
1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (तृतीय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त कोटा।

आवासीय अभियन्ता
रा.आ.म. खण्ड कोटा

D:\New Volume (D)\Mosif Ji\LAKHERI SEED MONEY\Lakhri Lottary Vigyapti & Letter.doc

राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड कोटा

क्रमांक :– 360 दिनांक :– 10.7.25

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत लाखेरी आवासीय योजना के पंजीकरण योजना वर्ष 2023 के तहत् प्राप्त घरोंदा आय वर्ग के 76, आर्थिक दृष्टि के कमजोर आय वर्ग के 02, अल्प आय वर्ग के 04, मध्यम आय वर्ग–अ के 84, मध्यम आय वर्ग–ब के 01 एवं उच्च आय वर्ग के 26 कुल 193 सफल आवेदकों के लिये आवास आवंटन लॉटरी जिला आवंटन समिति बून्दी द्वारा ''वैब बेस्ड प्रणाली'' के माध्यम से निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त सभी आवेदकों को नियमानुसार आरक्षण पत्र जारी कर तीन किस्तों में पूर्वग्रहण राशि जमा करवाने हेतु सूचित किया गया था, जिसके अनुसार पूर्वग्रहण राशि जमा उपरान्त चालानों की तृतीय प्रति मय अन्य आवश्यक दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अतः यदि किसी आवेदक द्वारा मांग के अनुरूप पूर्वग्रहण राशि जमा का चालान कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है तो कृपया आक्षेप प्राप्ति दिनांक 18.07.2025 सायं 4.00 बजे तक कार्यालय में जमा करवा देवे अन्यथा उन्हे आवास आवंटन लॉटरी में शामिल नहीं किया जायेगा तथा उनका कोई आक्षेप स्वीकार नहीं होगा।

क्र.सं.	लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम	दिनांक / समय एवं स्थान
1	योग्य / अयोग्य आवेदकों की अस्थायी सूची का प्रकाशन	14.07.2025 सायं 4.00 बजे कार्यालय आवासीय अभियन्ता खण्ड कोटा के नोटिस बोर्ड एवं मण्डल की वेबसाइट पर
2	अस्थायी सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	18.07.2025 सायं 4.00 बजे कार्यालय आवासीय अभियन्ता खण्ड कोटा
3	आक्षेप प्राप्ति के बाद योग्य आवेदकों की अंतिम स्थायी सूची का प्रकाशन	21.07.2025 सायं 4.00 बजे कार्यालय आवासीय अभियन्ता खण्ड कोटा के नोटिस बोर्ड एवं मण्डल की वेबसाइट पर
4	आवास आवंटन लॉटरी का आयोजन	22.07.2025 सायं 3.00 बजे कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड कोटा

नोट :– 1. आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि तक यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित आवास आवंटन लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। 2. आवास आवंटन लॉटरी हेतु योग्य / अयोग्य आवेदको की सम्पूर्ण सूची मण्डल की वेब साईट www.rhb.rajasthan.gov.in पर तथा आवासीय अभियन्ता, खण्ड कोटा के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी।

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड कोटा